कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 05/नि. अंके. (सृ. अंके. प्रति.)–87/2017 /पटना, दिनांक ....

आदेश

सृजन महिला विकास सहयोग समिति, सबौर, भागलपुर का वर्ष 1995–96 से वर्ष 2015–16 तक कुल 17 अंकेक्षण प्रतिवेदन विभागीय निदेश के आलोक में प्रबंध निदेशक, भागलपुर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि०, भागलपुर द्वारा प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है। अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त समिति का वर्ष 2003–04 से वर्ष 2015–16 का अंकेक्षण (वर्ष 2013–14 छोड़कर) सनदी लेखाकार ए० के० मिश्रा एण्ड एसोसिएट्स, भागलपुर द्वारा किया गया है, जिसमें वर्ष 2003–04 से वर्ष 2012–13 का लगातार तीन वर्षो से अधिक अवधि तक का अंकेक्षण भी किया गया है। विभागीय पत्रांक– 4234 दिनांक–24.09.2005 द्वारा निर्गत सनदी लेखाकारों द्वारा सहकारी समितियों के वैधानिक अंकेक्षण अनुदेश की कण्डिका 8 जिसमें वर्णित है कि ''किसी भी परिस्थिति में लगातार तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अंकेक्षण नहीं किया जायगा, परन्तु यह कि पूर्व से चले आ रहे बकाया अंकेक्षण के मामले में यह बन्धेज लागू नहीं होगा।'' परन्तु सनदी लेखाकार ए.के० मिश्राा एण्ड एसोसिएट्स, भागलपुर द्वारा उक्त समिति वर्ष 2003–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 की अवधि का अंकेक्षण लगातार किया गया जो विभागीय निदेश के विपरीत होने के कारण उक्त अवधि का अंकेक्षण प्रतिवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः सम्यक विचारोपरान्त सृजन महिला विकास सहयोग समिति, सबौर, भागलपुर का अंकेक्षण ए.के० मिश्रा एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, भागलपुर द्वारा लगातार तीन वर्षों से अधिक अवधि का किये जाने के कारण उनके द्वारा समर्पित वर्ष 2003–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12 एण्ड 2012–13 का अंकेक्षण प्रतिवेदन को अमान्य किया जाता है।

ह०/- 18/10/17

(नरेन्द्र प्रसाद मण्डल)
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 8309 05/नि. अंके.(सृ. अंके. प्रति.)–87/2017 /पटना, दिनांक 18.10.17

प्रतिलिपिः–
1. M/s A.K. Mishra & Associates, सनदी लेखाकार, भागलपुर,
2. सभी सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स/चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स फर्म,
3. अध्यक्ष/प्रशासक, सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि०, सबौर, भागलपुर
4. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, भागलपुर
5. प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर
6. प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, भागलपुर
7. जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर
8. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भागलपुर
9. जिला पदाधिकारी, भागलपुर
10. प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना,
11. मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों को

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ अग्रसारित।

ह०/- 18/10/17

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।